


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// संशोधन आदेश //

क्रमांक..... B/1919 ..... /  
चार-9-45/2017

जबलपुर, दिनांक 31 /03/2021

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/2626 दिनांक 17-04-1999 "जहां तक उसका संबंध श्री पापा दास, सेवानिवृत्त वाहन चालक को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1792/98/सी/चार, दिनांक 18-09-98 की कंडिका (1) उपकंडिका (3) के तहत दिनांक 01-04-1999 से प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान रूपये 3500-80-4700-100-5200 स्वीकृत किये जाने से है" में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के पत्र क्रमांक एफ. 5-4/1/वेआप्र/98 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2001/29 मार्च 2001 के आलोक में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 19-04-1999 से प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान रूपये 3500-80-4700-100-5200 पढ़ा जावे।

  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक..... B/1920 ..... /  
चार-9-45/2017

जबलपुर, दिनांक 31 /03/2021

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / -कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,
4. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
10. श्री पापा दास, सेवानिवृत्त वाहन चालक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर

की ओर इस रजिस्ट्री के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक सी/2627/चार-12-19/97 जबलपुर दिनांक 17.04.1999 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शनी शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)